-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 21.01.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन ईगल" के क्रम में थाना अतर्रा पुलिस टीम द्वारा 08 अन्तर्राज्यीय अवैध गांजा तस्करों को किया गया गिरफ्तार । अभियुक्तों के कब्जे से 24 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा, अवैध सूखे गांजे के बिक्री व जामा तलाशी के कुल 3.02 लाख रुपए सहित परिवहन में प्रयुक्त एक चारपहिया वाहन बरामद।**

- **अभियुक्तों द्वारा मध्य प्रदेश से अवैध सूखा गांजा लाकर बांदा के विभिन्न क्षेत्रों में की जाती थी सप्लाई/बिक्री।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा जनपद बांदा को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन ईगल"** के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी अतर्रा श्री प्रवीण कुमार यादव के नेतृत्व में थाना अतर्रा पुलिस टीम द्वारा 08 अन्तर्राज्यीय अवैध गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 20/21.01.2026 की रात्रि को थाना अतर्रा पुलिस को रात्रि गश्त व संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि डाक बंगला कस्बा अतर्रा के आगे एक चारपहिया वाहन में कुछ लोगों के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की बड़े पैमाने पर खरीद/बिक्री की जा रही है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर जाकर घेराबन्दी करते हुए मौके से 08 लोगों को हिरासत में लेकर तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 24 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा व 03 लाख 02 हजार 300 रुपए बरामद हुए जिनमें अवैध सूखे गांजे की बिक्री के कुल 02 लाख 80 हजार रुपए तथा 22 हजार 300 रुपए जामा तलाशी में बरामद हुए है। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा अवैध गांजा मध्य प्रदेश से लाकर बांदा के विभिन्न क्षेत्रों सप्लाई/बिक्री की जाती है। गिरफ्तार सभी अभियुक्तों से पूंछताछ कर जानकारी की जा रही है कि इनके द्वारा किसके माध्यम से अवैध गांजे की खरीद/बिक्री/सप्लाई की जाती थी, उन सभी के खिलाफ भी विधिक कार्यवाही की जाएगी।

बरामदगी-

- 03 लाख 02 हजार 300 रुपए नकद (अवैध गांजे की बिक्री व जामा तलाशी से प्राप्त रुपए)
- 01 चारपहिया वाहन बोलेरो (अवैध सूखे गांजे के परिवहन में प्रयुक्त)
- 24 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा
- 08 मोबाइल फोन
- 03 अवैध तमंचा 315 बोर
- 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. जयप्रकाश उर्फ छंगा पुत्र कुलदीप निवासी बछेही थाना गिरवां जनपद बांदा।
2. आशीष पुत्र प्रमोद निवासी अत्रीनगर कस्बा व थाना अतर्रा जनपद बांदा।
3. हरवंश पुत्र रमाकांत निवासी बाघा थाना बिसंडा जनपद बांदा।
4. रुद्र पुत्र धीरेन्द्र निवासी बजरंग कस्बा व थाना अतर्रा जनपद बांदा।
5. बसंत पुत्र रज्जन निवासी बाउर बाजार कस्बा व थाना अतर्रा जनपद बांदा।
6. राज पुत्र संतोष कुमार निवासी सोनार गल्ली कस्बा व थाना अतर्रा जनपद बांदा।
7. आदित्य उर्फ सूरज पुत्र गंगा निवासी बाघा थाना बिसंडा जनपद बांदा।
8. विनय पुत्र दुलीचन्द्र निवासी बेकली कुइयां थाना बिसंडा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 28/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अतर्रा जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. श्री ऋषिदेव सिंह प्र0नि0 थाना अतर्रा
2. श्री मणिशंकर मिश्रा चौकी प्रभारी कस्बा अतर्रा
3. व0उ0नि0 श्री प्रेम पाल सिंह
4. कां0 अजय कुमार प्रजापति
5. कां0 जंगबहादुर यादव
6. कां0 प्रशान्त यादव
7. कां0 श्रवण यादव
8. कां0 रितिक राय
9. कां0 सुधीर कुमार
10. कां0 हरनाथ